

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-४/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियाँ)०३-६१-०३/२०१५-३९

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना-१५, दिनांक-१५.०९.१८

विषय: वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में सामग्री व पूत्तियाँ मद में ₹१००.०० लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति ।

आदेश - स्वीकृत ।

२- वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनु०जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों यथा, कदमहवों/मधुबनी/धमौरा/भिरभिरिया/बेलसण्डी (प० चम्पारण) में सामग्री व पूत्तियाँ मद में अनुसूचित जनजाति के लिए ₹१००.०० लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत राशि से अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा, पठन-पाठन सामग्री, चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी० भी०, पंखा, अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति एवं फर्निशिंग कार्य किया जायेगा ।

३- स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-०२-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-२७७-शिक्षा-उपशीर्ष-०१०१-शिक्षा-विषय शीर्ष-०१०१.२१.०१-सामग्री एवं पूत्तियाँ-मांग संख्या-४४-विपत्र कोड संख्या-४४-२२२५०२२७०१०१ के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

४- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण होंगे ।

५- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक १७-४-९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

६- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा ।


७- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे ।

८- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे ।

९- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं० सं०-४/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियाँ)०३-६१-०३/२०१५- के पृ०-४४/टिप्पणी पर प्राप्त है ।

१०- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-4/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियों)03-61-03/2015-32 पटना, दिनांक-14.09.18
प्रतिलिपि : (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0-5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0/अवर सचिव/प्रभारी, बजट शाखा/सहायक निदेशक/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0-6 डी0/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव। 12.9.18